



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236652
CG-DL-E-17062022-236652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944

No. 308]

NEW DELHI THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISTHA 26, 1944

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

फा. सं. सी-603/ चंडीगढ़ पीसीसी/ विधि-2022.— जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4, खंड (4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एतद्वारा समिति का पुनर्गठन करता है, जिसका गठन संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के संबंध में फा. सं. विधि 4/(सीपीसीसी)/15, दिनांक 28.04.2015 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। पुनर्गठित समिति निम्नवत है:-

1.	अध्यक्ष, चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, पर्यावरण के नामिती	सदस्य
3.	सचिव, उद्योग या उनके नामिती	सदस्य
4.	सचिव, शहरी विकास या उनके नामिती	सदस्य
5.	सचिव, परिवहन या उनके नामिती	सदस्य

6.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या उनके नामिती	सदस्य
7.	आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ या उनके नामिती	सदस्य
8.	चिकित्सा अधीक्षक, शासकीय बहुविशेषज्ञ अस्पताल, सैक्टर-16, चंडीगढ़	सदस्य
9.	उप महानिदेशक वन (सी), केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, या उनके नामिती	सदस्य
10.	श्री अरुण महाजन, मानद सचिव, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ (आई ए ओ सी)	सदस्य
11.	श्री रणदीप सिंह सैनी, प्रबंध निदेशक, ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य
12.	श्री संजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), चंडीगढ़	सदस्य
13.	सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या उनके नामिती	सदस्य
14.	चैंबर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज (पंजीकृत) के अध्यक्ष	सदस्य
15.	सदस्य सचिव, चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति	सदस्य सचिव

और,

- इस समिति को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति कहा जाएगा।
- यह समिति उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो मूल अधिसूचना, का.आ.199(ई), दिनांक 15.03.1991 के द्वारा समिति को प्रत्यायोजित की गई थीं।
- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. विधि 4/(सीपीसीसी)/15 दिनांक 28.04.2015 को विखंडित किया जाता है।

नरेश पाल गंगवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/4/असा./127/2022-23]

नोट : मूल अधिसूचना का.आ.1131(अ) दिनांक 23.10.2002 द्वारा संसोधित हुयी थी।

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

F. No. C-603/Chandigarh PCC/Legal-2022.— In exercise of the powers conferred by Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), as specified by the Central Government, the Central Pollution Control Board hereby reconstitutes the Committee whose constitution was notified by a notification published in the Gazette of India vide F. No. Legal4/(CPCC)/15 dated 28th April, 2015 in respect of the Union territory of Chandigarh. The reconstituted Chandigarh Pollution Control Committee is as follows:

1.	Chairman, Chandigarh Pollution Control Committee	Chairman
2.	Nominee of Principal Secretary, Environment	Member
3.	Secretary, Industries or his/ her nominee	Member
4.	Secretary, Urban Development or his/her nominee	Member

5.	Secretary, Transport or his/her nominee	Member
6.	Secretary, Health and Family Welfare or his/her nominee	Member
7.	Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh or his/her nominee	Member
8.	Medical Superintendent, Government Multi-Specialty Hospital, Sector-16, Chandigarh	Member
9.	Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, Chandigarh, or his/her nominee	Member
10.	Shri Arun Mahajan, Honorary Secretary, Industries Association of Chandigarh (IAOC)	Member
11.	Shri Randeep Singh Saini, Managing Director, Green Economy Initiatives Pvt. Ltd.	Member
12.	Shri Sanjay Kumar Sharma, Professor, Civil Engineering Department, National Institute of Technical Teachers Training and Research (NITTTR), Chandigarh	Member
13.	Member Secretary, Central Pollution Control Board, or his/her nominee	Member
14.	President of Chamber of Chandigarh Industries (Regd)	Member
15.	Member Secretary, Chandigarh, PCC.	Member Secretary

And,

- i. This Committee shall be called as the Chandigarh Pollution Control Committee.
- ii. This Committee shall exercise all the powers which were delegated to the Committee vide Principal Notification, S.O.199(E), dated 15th March 1991.
- iii. This Notification shall come into force with immediate effect.
- iv. The Notification published in the Gazette of India vide F. No. Legal4/(CPCC)/15 dated 28th April, 2015 stands rescinded.

NARESH PAL GANGWAR, Chairman
[ADVT. III/4/Exty./127/2022-23]

Note:- The Principal Notification was amended vide S.O. 1131(E) dated 23.10.2002.